[2013] 2 एस.सी.आर. 126

के श्रीनिवास राव

बनाम

डी.ए. दीपा

(सिविल अपील संख्या 1794/2013)

22 फ़रवरी, 2013

[आफताब आलम और रंजना प्रकाश देसाई, जे.जे.]

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

धारा 13(1)(i-ए) और (बी) - विवाह विच्छेद के लिए याचिका क्रूरता और परित्याग के आधार पर - 'क्रूरता' - समझाया गया। अभिनिर्धारित आयोजितः वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी-पत्नी द्वारा अपनी सास तथा पति के खिलाफ सजा बढाने की मांग के संबंध में पुनरिक्षण का आचरण निराधार, अशोभनीय और मानहानि कारक आक्षेप लगाये गये है जिससे यह प्रकट होता है कि पत्नी के द्वारा इस बात का हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि पति तथा उसके माता पिता जेल में ही रहे और उसे उसकी नौकरी से निकल दिया जावे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस आचरण से अपीलकर्ता पति के साथ मानसिक क्रूरता हुई है। दोनों पक्ष दस वर्षों से अधिक समय से अलग-अलग रह रहे हैं। इस अलगाव ने एक न पाटने योग्य दूरी पैदा कर दी है। दोनों के बीच शादी अपरिवर्तनीय रूप से टूट गई है इन परिस्थितियों में के विवाह को न्यायालय की डिक्री द्वारा विघटित किया

गया है। दोनों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता को प्रत्यर्थी-पत्नी को एकमुश्त भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

वैकल्पिक विवाद निस्तारण:

मध्यस्थता - यह अभिनिर्धारित किया गया कि मध्यस्थता द्वारा विवाद का समाधान किया जाने की प्रक्रिया को एक विधि को वैकल्पिक विवाद निस्तारण की प्रक्रिया के रूप में कानूनी मान्यता मिल गई है। इसलिए पारिवारिक न्यायालय तथा प्रारंभिक चरण की सुनवाइ करने वाले न्यायालय द्वारा ऐसे प्रकरणों की मध्यस्था हेतु मध्यस्था केन्द्रों को रैफर करना चाहिए। वैवाहिक विवाद विशेष रूप से बच्चों की अभिरक्षा तथा भरण-पोषण से संबंधित विवाद मध्यस्था हेतु भेजने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 9 पारिवारिक न्यायालयों पर यह दायित्व अधिरोपित करती है कि वे वैवाहिक विवादों को मध्यस्थ के माध्यम से निस्तारित करने के संबंध में प्रयास करे। उपयुक्त आपराधिक मामलों में आपराधिक न्यायालयों द्वारा पक्षकारों को मध्यस्थ के द्वारा प्रकरण का निस्तारण करने की संभावना तलाश किये जाने के संबंध में निर्देश देने चाहिए। धारा 498-ए भारतीय दंड संहिता के तहत अशमनीय आपराधिक प्रकरणों में पक्षकारों को उच्च न्यायालय के समक्ष जाकर परिवाद की कार्यवाही को निरस्त करवाना चाहिए। मध्यस्ता केंद्रों द्वारा पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 9 के तहत प्री-लिटिगेशन/ डेस्क्/क्लिनिक स्थापित करने चाहिए।

अपीलकर्ता-पति और प्रत्यर्थी-पत्नी का विवाह दिनांक 25.4.1999 को हिंदू संस्कार और रीति-रिवाज से विवाह हुआ था। जिसके बाद दोनों पक्षों के बड़ों के बीच विवाद हो गया। दिनांक 27.4.1999 को प्रत्यर्थी को उसके माता-पिता अपने घर ले गए। दिनांक 4.10.1999 को प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के खिलाफ महिला संरक्षण प्रकोष्ट में शिकायत दर्ज कराई कि अन्य बातों के अलावा, वह उसे अधिक दहेज के लिए परेशान करता है। उक्त शिकायत में अपीलकर्ता की मां के खिलाफ मानहानिकारक आरोप लगाया गया था। उक्त शिकायत और उसके बाद की विरोध याचिकाओं के कारण अपीलकर्ता को धारा 498-ए भारतीय दंड संहिता के अपराध में दोषसिद्धि किया गया, हालाँकि उसके माता-पिता को बरी कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलकर्ता ने अपील पेश की तथा प्रत्यर्थी ने उक्त कार्यवाहियों में भाग लिया गया। प्रत्यर्थी ने हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए याचिका पेश की। जिसमें अपीलार्थी पति ने क्रूरता तथा अभित्यजन के आधार पर धारा 13(1)(आईए) और (बी) हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत प्रति दावा पेश किया। जिस पर पारिवारिक न्यायालय ने दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की याचिका खारिज करते हुए विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर दी। जिसके विरूद्ध पत्नी द्वारा उच्च न्यायालय में अपील की गई जिससे स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने पति के पक्ष के में जारी विवाह विच्छेद की डिक्री को अपास्त कर दिया।

न्यायालय ने अपील का निस्तारण करते हुए-

अभिनिर्धारित किया: 1.1 हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-ए) के तहत विवाह को पति / पत्नी के द्वारा क्रूरता के आधार पर पेश की गई याचिका पर न्यायालय द्वारा डिक्री द्वारा विघटित किया जा सकता है। जहां एक पक्षकार पति/पत्नी द्वारा दूसरे के साथ में ऐसा व्यवहार किया जाता है जिससे दूसरे जोडे के मन यह आशंका पैदा हो जाये कि उसके साथ निवास करना नुकसान दायक हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में क्रूरता स्पष्ट होती है, क्रूरता शारीरिक या मानसिक हो सकती है। किसी दिए गए मामले में, दूर रहने पर या अश्लील और मानहानि कारक पत्र /नोटिस भेजने तथा मानहानि कारक और अश्लील आरोप लगाने वाली शिकायत करके या उक्त तथ्यों के आधार पर न्यायिक कार्यवाही करके एक जोडे द्रा दूसरे का जीवन कष्टमय बनाया जा सकता है जो कि हस्तगत प्रकरण मे हुआ है। [पैरा 10 और 24] [136-जी-एच; 144-एफ-जी]

वी. भगत बनाम डी. भगत 1993 (3) पूरक। एससीआर 796 = 1994 (1) एससीसी 337; विजयकुमार आर. भाटे बनाम नी/ए विजयकुमार भाटे 2003 (3) एससीआर 6072003 (6) एससीसी 334; और नवीन कोहली बनाम नी/यू कोहली 2006 (3) एससीआर 53 2006 (4) एससीसी 558 - संदर्भित।

1.2 प्रत्यर्थी द्वारा पुलिस अधीक्षक महिला संरक्षण प्रकोष्ट के दिनांक 04-10-1999 समक्ष पेश किये गये परिवाद में लगाये गये अपमानजनक तथा अभद्र आरोप की अलीकर्ता की माता प्रत्यर्थी को अलीकर्ता के पिता के साथ सोने के लिए कहती है वह मानसिक क्रूरता का प्रथम उदाहरण देखने को मिलता है । इस संबंध में अपीलकर्ता ने कथन किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलकर्ता के माता-पिता का इस प्रकार से अपमान करने से उसे गहरी वेदना हुई है। वह और उसका परिवार परिवाद में लगाये गए झूठे और अशोभनीय आंक्षेपों से आहत है उसकी शिकायत जायज़ लगती है। यह शिकायत रिकॉर्ड का तथा अभिवचनों हिस्सा है। प्रत्यर्थी की माता की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि परिवाद में लगाये आक्षेप झुठे है तथा यह अच्छी तरह से स्थापित है कि इस प्रकार के आक्षेपों के कारण मानसिक क्रूरता कारित होती है। प्रत्यर्थी द्वारा इस प्रकार की शिकायत भेजने जाने से अपीलार्थी पति के साथ मानसिक क्रूरता हुई है। [पैरा 22] [143-बी-एफ]

1.3 प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा शिकायत में अपनी सास के विरूद्ध निराधार, अशोभनीय तथा मानहानिकारक आंक्षेप लगाया जाना तथा पुनरीक्षण याचिका में प्रत्यर्थी के पति की सजा को बढाने की मांग करना तथा पति एवं उसके माता पिता को दोषमुक्त करने के आदेशों के विरूद्ध अपील पेश करके आदेशों पर प्रश्नचिहन् लगाये जाने से यह प्रकट होता है कि उसमें अपने पति तथा माता पिता को जेल में रखने तथा उसकी नौकरी से निकाले जाने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किये गये है जो कि वह कर

सकती थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यर्थी के उक्त आचरण से अपीलकर्ता पति को मानसिक क्रूरता हुई है। [पैरा 23] [144-डी-ई]

1.4 यह भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि अपीलकर्ता-पति और प्रत्यर्थी-पत्नी 27/4/1999 से अलग रह रहे हैं। इस प्रकार, वे दस वर्ष से अधिक समय से अलग-अलग रह रहे हैं। ऐसी अलगाव की स्थिति पैदा कर दी है कि जोडा नहीं जा सकता है। जैसा कि समर घोष में कहा गया है, यदि अदालत ने बंधन को तोड़ने से इनकार कर दिया, इससे 'मानसिक' क्रूरता की स्थिति पैदा हो सकती है। [पैरा 25] [145-ए-बी](4)

समर घोष बनाम जया घोष 2007 (4) एससीआर 428= 2007 एससीसी 511- पर भरोसा किया गया।

1.5 यह न्यायालय भी इस बात से संतुष्ट है कि पक्षकारों का विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट हो गई है। किन्तु विवाह का अपरिवर्तनीय रूप से टूट जाना, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विवाह विच्छेद का आधार नहीं है। लेकिन, जहाँ पति या पत्नी या दोनों के कृत्य से निर्मित कड़वाहट के कारण वैवाहिक कारणों को सुधारा नहीं जा सकता। तो वहां अदालतों ने हमेशा इसका अपूरणीय तोड़ निकाला है विवाह दूसरों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति है जिसमें वैवाहिक बंधन को तोड़ने की आवश्यकता है। विवाह का विघटन होने से दोनों पक्षों को दर्द और पीड़ा से राहत मिलेगी। प्रत्यर्थी पत्नी अपीलार्थी पति के साथ जाने की इच्छा वयक्त

की किन्तु यह अब संभव नहीं है क्योंकि अपीलार्थी उसे अपने साथ ले जाने का इच्छुक नहीं है। साथ पत्नी के द्वारा किये गये दावे से यह प्रकट होता है केवल निराशा से उत्पन्न परिस्थितियों के आधार पर कार्यवाही की है, किसी वास्तविक, ठोस या सदभावी उद्देश्य से कार्यवाही नहीं की है। [पैरा 26, 28 और 29] [145-8-सी; 146-8-सी-ई]

1.6 इस न्यायालय की राय है कि जहां पत्नी की दुर्दशा की स्थिति में जी रही हो ऐसी स्थिति में विवाह विच्छेद की डिक्री अवश्य प्रदान की जानी चाहिए । अपीलकर्ता-पति को अच्छा वेतन मिल रहा है जबकि प्रत्यर्थी पत्नी 10 वर्ष से अधिक समय से मुकदमा लड़ रही है जो कि अपने माता पिता तथा भाई पर आश्रित है ऐसी में स्थिति में पत्नी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए अपीलार्थी पति को उसे स्थाई गुजारा भत्ता देने के संबंध में निर्देश देने चाहिए। परिणाम स्वरूप आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी पति तथा पत्नी का विवाह विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा भंग किया है। इसलिए अपीलार्थी पति प्रत्यर्थी पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 15,00,000/- रुपये का भुगतान, तीन किश्तों में। [पैरा 30] [146-एफ-जी; 147-ए-बी]

2.1 वर्तमान मामले में, दोनों पक्षों के मध्य वैवाहिक विवाद दोनों तरफ के बड़ों के झगड़े के कारण शुरू हुआ है। जिसने बड़ों की अहंकार की लड़ाई ने लिया है। जिसके कारण पक्षकारों का न्यायालय के समक्ष आना पड़ा तथा दोनों परिवारों के रिश्ते बिगड़ गए । यहा तक कि इस न्यायालय

के प्रयास के बावजूद भी पक्षकारों को राजीनामा के लिए तैयार नहीं किया जा सका। [पैरा 8] [136-ए-बी]

2.2 अक्सर, वैवाहिक विवादों का कारण मामुली गलतफहमी होता है जिसे सुलझाया जा सकता है। इस संबंध में वैकल्पिक विवाद निस्तारण की प्रक्रिया के रूप में माध्यस्थतम को विधिक मान्यता प्राप्त कर ली है। इसलिए, पारिवारिक न्यायालय या प्रारंभिक चरण के न्यायालय के द्वारा प्रकरण सुनवाई शुरू कि जाती है तो ऐसी स्थिति में मध्यस्था केन्द्र को रैफर करना चाहिए। वैवाहिक विवाद, विशेषकर, बच्चे की अभिरक्षा तथा भरण पोषण आदि से संबंधित मामले, मध्यस्थता हेतु प्रमुख रूप से उपयुक्त हैं। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 9 पारिवारिक न्यायालयों पर विवादों को समझाइस से निस्ताण करने का दायित्व अधिरोपित करती है जिसके लिए पारिवारिक न्यायालयों को परामर्शदाताओं की सहायता ले सकते है। हालाँकि धारा 498-ए भारतीय दंड संहिता का अपराध आंध्र प्रदेश राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में शमनीय नहीं होने से समस्या उत्पन्न करता है। किन्तु उपयुक्त प्रकरणों में, पक्षकार उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं और शिकायत को निरस्त करवा सकते है। इस न्यायालय ने हमेशा से इस संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया तथा पक्षकारों को वैवाहिक विवादों को मध्यस्था के माध्यम से निस्तारण करने हेतु प्रोत्साहित किया है। इस संबंध में निर्णय में निर्देश जारी किए जाते हैं कि वैवाहिक विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाएं और धारा 498 ए

भारतीय दंड संहिता के तहत दंडिय अपराधों से संबंधित शिकायतों को प्री-लिटिगेशन डेस्क/क्लिनिक को भेजा जावे। [पैरा 32, 34, 35 और 36] [148-बी-सी-ई, 149-ए-बी-डी; 150-एच; 151-ई-एच; 152-सी]

रामगोपाल एवं अन्य. बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य।

2010 (9) एससीआर 354 2010 (13) एससीसी 540; जी. वी. राव बनाम एल.एच. वी.प्रसाद एवं अन्य। 2000 (2) एससीआर 123 2000 (3) एससीसी 693, बी.एस.जोशी एवं अन्य। बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। 2003 (2)

एससीआर 1104 2003 एआईआर 1386; ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य. 2012 (10) एससीसी 303- संदर्भ दिया गया ।

जी. वी.एन. कामेश्वर राव बनाम जी. जाबिली 2002 (1) एससीआर =153 2002 (2) एससीसी 296; परवीन मेहता बनाम इंद्रजीत मेहता 2002 (5) एससीसी 706; और दुर्गा प्रसन्ना त्रिपाठी बनाम अरुंधति त्रिपाठी 2005 (2) पूरक। एससीआर 833 2005 (7) एससीसी 353 उद्धृत किये गये

निम्मन न्यायिक निर्णयों को संदर्भित किया गया :

2002 (1) एससीआर 153 पैरा 6 का हवाला दिया गया

2002 (5) एससीसी 706 पैरा 6 का हवाला दिया गया

2003 (3) एससीआर 607 पैरा 6 में संदर्भित

2005 (2) पूरक। एससीआर 833 पैरा 6 का हवाला दिया गया

2006 (3) एससीआर 53 पैरा 6 में संदर्भित

2007 (4) एससीआर 428 पैरा 6 पर निर्भर था

1993 (3) पूरक। एससीआर 796 पैरा 12 में संदर्भित है

2010 (9) एससीआर 354 पैरा 34 को संदर्भित करता है

2000 (2) एससीआर 123 पैरा 34 में संदर्भित

2003 (2) एससीआर 1104 पैरा 34 में संदर्भित

2012 (10) एससीसी 303 पैरा 34 में संदर्भित है

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1794/ 2013

का उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश, हैदराबाद द्वारा ए.ए.ओ संख्या 797/2003 तथा सी.एम.ए. संख्या 797/2003 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 08.11.2006 से उत्पन्न।

जयन्त मुथ राज (सी.के.सासी के लिए), अपीलार्थी की ओर से।

डी. राम कृष्ण रेड्डी (डी.भारती रेड्डी के लिए), प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

(श्रीमती) रंजना प्रकाश देसाई, न्यायाधिपति

1. अवकाश अनुदत्त की गई।

2. यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, अपीलकर्ता/पति द्वारा सिविल विविध अपील संख्या 797/03 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 8/11/2006 के विरूद्ध पेश की गई जिसके द्वारा उसके पक्ष में जारी विवाह विच्छेद की डिक्री को अपास्त किगा गया ।

3. अपीलार्थी-पति की आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत है अपीलकर्ता-पति और प्रत्यर्थी-पत्नी का विवाह 25/4/1999 हिंदू रीतिरिवाज एवं संस्कारों के अनुसार संपन्न हुआ। दुर्भाग्य से, विवाह के दूसरे दिन से ही दोनों पक्षकारों के बड़े बुजुर्गों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के साथ गाली-गलौज की और मारपीट करते हुए की एक दूसरे पर चप्पलें फैकी। परिणामस्वरुप दिनांक 27/4/1999 को नवविवाहित जोड़ा बिना वैवाहिक जीवन का उपभोग किये ही अलग हो गया तथा अलग अलग रहना शुरू कर दिया। दिनांक 04/10/1999 को प्रत्यर्थी-पत्नी ने अपीलार्थी के विरूद्ध महिला संरक्षण प्रकोष्ठ में अपीलार्थी पति द्वारा और अधिक दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न किये जाने के संबंध में आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई । यह शिकायत इस मामले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस पर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। पक्षकारों के मध्य कटुता बढ़ने के

कारण पक्षकारों के विरूद्ध शिकायते पेश की गई। प्रत्यर्थी-पत्नी द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना के लिए पारिवारिक न्यायालय सिकंदराबाद में याचिका पेश की गई जिसमें अपीलार्थी पति द्वारा क्रूरता तथा परित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग करना करते हुए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-क) और (ख) के तहत प्रतिदावा पेश किया गया।

4. पारिवारिक न्यायालय ने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की याचिका खारिज करते हुए और विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करते हुए यह माना कि प्रत्यर्थी-पत्नी अपीलकर्ता पति के घर केवल एक दिन के लिए रही। उसने स्वीकार किया कि उसकी किसी के साथ बातचीत नहीं हुई जिससे उसके द्वारा प्रस्तुत नोटिस साक्ष्य से उसके इस कथन का समर्थन नहीं होता है कि उसका उत्पीड़न करके उसे घर से निकाल दिया गया ऐसे स्थिति में उससे पति तथा परिवार द्वारा दहेज में 10,00,000/- रूपये की मांग किये जाने के संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महानगर द्वारा हैदराबाद में धारा 498-ए भारतीय दंड संहिता के अपराध में परिवाद पेश किया जाना तथा उच्च न्यायालय में जहां उसका पति नियोजित है में पति द्वारा उसके साथ मानसिक क्रूरता कारित किया जाना संभव नहीं है। पारिवारिक न्यायालय ने अपीलार्थी पति को प्रत्यर्थी के पिता द्वारा विवाह के समय दिये गये 80,000/- रुपये विवाह की दिनांक से 8% वार्षिक ब्याज सहित राशि लौटाने के आदेश दिये गये।

5. आक्षेपित निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए अपीलार्थी पति के पक्ष कें जारी विवाह विच्छेद की डिक्री को अपास्त कर दिया। उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष रहा कि अपीलकर्ता-पति के विरूद्ध पुलिस थाने में शिकायत दर्ज किये जाने को पारिवारिक न्यायालय ने क्रूरता मानते हुए जो विवाह विच्छेद आधार माना है वह तर्क विरूद्ध है कि क्योंकि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में वह विवाह विच्छेद का आधार नहीं है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि अपीलकर्ता-पति और प्रत्यर्थी-पत्नी लंबे समय तक एक साथ नहीं रहे है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा एक दूसरे साथ क्रूरता किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। उच्च न्यायालय के अनुसार, प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा अपीलार्थी पति के साथ मानसिक क्रूरता कारित किये जाने के संबंध में दिया गया निष्कर्ष अनुमान और धारणाओं पर आधारित है।

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जयन्त मुथ राज, ने प्रत्यर्थी-पत्नी के आचरण पर हमला करते हुए निवेदन किया कि वह आचरण के कारण न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकती । अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी द्वारा पुलिस अधीक्षक महिला संरक्षण प्रकोष्ठ हैदराबाद के समक्ष दर्ज कराई गई शिकायत में अपीलकर्ता तथा उसकी माता के विरूद्ध लगाये गये अपमानजकर अरोपों तथा प्रत्यर्थी द्वारा की गई आपराधिक कार्यवाही के बारे में बताया गया है। अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उसने उच्च् न्यायलय में अपीलार्थी पति को नौकरी से

निकाले जाने के संबंध में शिकायते की है। उसके द्वारा ऐसी झूठी शिकायतें दर्ज कराने से अपीलार्थी पति के साथ अत्यधिक मानसिक क्रूरता हुई है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि उच्च न्यायालय ने पत्नी द्वारा अपीलार्थी पति के साथ लंबे समय से निवास नहीं किये जाने के आधार पर जो यह निष्कर्ष ऐसी स्थिति में पत्नी द्वारा क्रूरता कारित किया जाना संभव नहीं था वह त्रुटिपूर्ण तथा इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धातों के प्रतिकूल है। अभिवचनों किये गये गलत तथा अपमानजनक कथनों से भी मानसिक क्रूरता कारित हो सकती है साथ ही अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि पक्षकारों का विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है और इसलिए विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा इसे भंग किया जाना आवश्यक है। **अपनी दलीलों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने निम्न माननीय न्यायिक दृष्टातों पर भरोसा जताया जो कि जी.वी.एन. कामेश्वर राव बनाम जी. जाबिल्ली** [(1)],, **परवीन मेहता बनाम इंद्रजीत मेहता** [(2)], **विजयकुमार आर. भाटे बनाम नीला विजयकुमार भाटे** [(3)], **दुर्गा प्रसन्ना त्रिपाठी बनाम अरुंधति त्रिपाठी** [(4)], **नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली** [(5)] **और समर घोष बनाम जया घोष** [(6)]।

7. प्रत्यर्थी-पत्नी की ओर से विद्वान श्री डी. राम कृष्ण रेड्डी, ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी-पत्नी के कि पिता ने 80,000/- रुपये तथा 15 तोले सोना अपीलार्थी पति के परिवार को दहेज में दिए थे । हालाँकि, वे 10,00,000/- रुपये की अतिरिक्त नकदी की मांग कर रहे है किन्तु उक्त

मांग से प्रत्यर्थी-पत्नी और उसके परिवार के साथ किए गए दुर्व्यवहार और अपमान की पूर्ति नहीं होती है। विवाह के तुरंत प्रत्यर्थी-पत्नी को अपने माता पिता के पास जाना पड़ा । प्रत्यर्थी के पिता ने अपीलकर्ता-पति के परिवार से बात करने का प्रयास किया, लेकिन, उन्होंने उसकी कोशिशों का कोई जवाब नहीं दिया। वे अपनी जिद पर अड़े रहे, ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी पत्नी के पास उनके विरूद्ध धारा 498-ए भारतीय दंड संहिता के तहत मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, हैदराबाद के समक्ष शिकायत दर्ज करने के के सिवाय कोई विकल्प नहीं रहा । इसके बाद अपीलकर्ता-पति ने झूठा आश्वासन दिया कि वह उसे उत्पीडित नहीं करेगा, इसलिए उसने शिकायत वापस ले ली और अपने विवाह घर पर चली गई। किन्तु इसके बावजूद भी अपीलकर्ता-पति और उसके परिवार का दृष्टिकोण नहीं बदला। इसलिए उसे पुन शिकायत करनी पड़ी। अधिवक्ता ने निवेदन किया अपीलार्थी-पति तथा उसके परिवार का अडियल एवं असमझोता हुआ कि दृष्टिकोण के कारण न्यायिक कार्यवाही का सहारा लेना पडा। अधिवक्ता ने यह बात कही प्रत्यर्थी-पत्नी वैवाहिक संबंधों का सम्मान करती है। वह अपने पति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन जीना चाहती है इसलिए उसने दाम्पत्य अधिकारों की पूर्नस्थापना की बहाली के लिए पारिवारिक न्यायालय में याचिका पेश की थी जिसे पारिवारिक न्यायालय द्वारा स्वीकार करना चाहिए था। अधिवक्ता ने यह निवेदन किया की उच्च् न्यायालय में उचित रूप से मूल्यांकन करते

हुए विवाह विच्छेद की डिक्री के आदेश का अपास्त किया है तथा दाम्पत्य अधिकारों के पूर्नस्थापना की डिक्री पारित की है।

8. **पक्षकारों के मध्य वैवाहिक विवाद की शुरुआत उनके बुजुर्गों द्वारा की गई जिसमें शुरूआत में अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी शामिल नही थे।** अहंकार की इस लड़ाई ने एक बुरा मोड़ ले लिया। जिसके कारण पक्षकारों का न्यायालय में आना अपरिहार्य हो गया। तथा दोनों परिवारों के संबंध तनावग्रस्त हो गए। हमने इस आशा के साथ पक्षकारों के अधिवक्तागण को अनुरोध किया कि हम प़क्षकारों को समझौते के लिए तैयार कर सकते है। किन्तु इसके लिए पक्षकारों को अपने मतभेदों को दूर करके साथ रहना शुरू करना होगा। हमने उन्हें न्यायालय में इस संबंध में परामर्श देने का भी प्रयास किया। प्रत्यर्थी-पत्नी अपने वैवाहिक घर में वापस जाकर नया जीवन शुरू करने के लिए बहुत उत्सुक प्रतीत होती है लेकिन अपीलार्थी उसे साथ नहीं ले जाने की जीद पर अडा हुआ है। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से हमें यह बात बताई कि उसके और उसके खिलाफ बार-बार झूठी शिकायतें दर्ज करके प्रत्यर्थी-पत्नी ने उसके परिवार के साथ अत्यधिक क्रूरता की है इसलिए उसे वापस ले जाना संभव नहीं होगा। ऐसे में हमारे पास मामले को आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

9. उच्च न्यायालय का यह विचार रहा है कि चूंकि अपीलकर्ता-पति और प्रत्यर्थी-पत्नी एक साथ नहीं रहे, ऐसी स्थिति उनके द्वारा एक दूसरे के साथ क्रूरता कारित किये जाने का कोई सवाल नहीं रह जाता है। उच्च

न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पारिवारिक न्यायालय ने प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा अपीलार्थी पति के साथ मानसिक क्रूरता कारित करने के संबंध में जो निष्कर्ष दिया है वह त्रुटिपूर्ण है किन्तु हम उच्च न्यायालय के उक्त विचार से सहमत नहीं है।

10. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1)(i-क) के तहत विवाह को पति या पत्नी द्वारा पेश की गई याचिका पर कि दूसरे पक्षकार ने विवाह अनुष्ठान सम्पन्न होने के पश्चात याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता पूर्ण व्यवहार करना शुरू कर दिया है तो ऐसी स्थिति में विवाह को विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा भंग किया जा सकता है । इस न्यायालय ने अपने श्रंखलाबद्द निर्णयों में क्रूरता का अर्थ स्पष्ट करते हुए क्रूरता दायरे को रेखांकित किया। क्रूरता स्पष्ट है जहां विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के मन में यह भय पैदा कर दिया जाता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहना खतरनाक या नुकसानदाय हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्रूरता का स्पष्ट प्रमाण है। क्रूरता शारीरिक या मानसिक हो सकती है।

11. **समर घोष** के निर्णय में इस न्यायालय ने उन परिस्थितियों के उदाहरण दिये है जिनमें मानसिक क्रूरता का अनुमान लगाया जा सकता है। यह सूची अपने आप में सम्पूर्ण नहीं है क्योंकि प्रत्येक मामले का अपने अपने तथ्य एवं परिस्तिथियों होती है। अन्यथा भी मानसिक क्रूरता का निर्णय दिमाग लगाने के बाद ही किया जाएगा। **समर घोष** के प्रासंगिक पैराग्राफ को हमें उद्धृत करना चाहिए। हमारे द्वारा केवल उक्त निर्णय के

प्रासंगिक भाग को उद्धृत किया जा रहा है जो कि वर्तमान प्रकरण के लिए प्रासंगिक हैं "101. इसके लिए कभी भी कोई एक समान मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता है फिर भी मार्गदर्शन, के लिए हम मानव व्यवहार के कुछ उदाहरण दे रहे है जो कि "मानसिक क्रूरता" के प्रकरणों के निस्तारण के लिए सुसंगत हो सकते है। उदाहरण आगामी पैराग्राफों में दिए जा रहे है यह उदाहरण केवल उदाहरणात्मक हैं वे अपने आप में संपूर्ण नहीं है:

(i) पक्षकारों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन पर विचार करने पर तीव्र मानसिक पीड़ा, वेदना और कष्ट के कारण पक्षकारों के लिए एक-दूसरे के साथ रहना संभव नहीं होने की स्थिति मानसिक क्रूरता के व्यापक मापदंडों के अंतर्गत आ सकता है।

(ii) वैवाहिक जीवन के व्यापक मूल्यांकन के पश्चात जब यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि अन्याय करने वाला पक्षकार अपना आचरण को छोडने के लिए तथा दूसरे पक्षकार के साथ रहने के तैयार नहीं है।

(iii) xxx xxx XXX

(iv) मानसिक क्रूरता मन की एक अवस्था है। विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के साथ लंबे समय तक ऐसा आचरण करना जिससे दूसरे पक्षकार के मन में घोर छोभ, निराशा, तथा हताशा पैदा उत्पन्न हो जाती है वह मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है।

v) जीवनसाथी द्वारा निरन्तर यातना देने तथा अपमान करने के व्यवहार से दूसरे जीवनसाथी का जीवन दयनीय बन गया हो।

(vi) विवाह के एक पक्षकार द्वारा अपने जीवनसाथी के साथ अनुचित आचरण और व्यवहार जो कि दूसरे जीवनसाथी के शारीरिक और मानसिक जीवन को प्रभावित करता है तथा ऐसे आचरण की शिकायत की गई हो इसके कारण जिसका परिणाम खतरनाक तथा बहुत गंभीर एवं सारवान हो।

(vii) xxx xxx XXX

(viii) xxx xxx XXX

(ix) xxx xxx XXX

(x) इसके लिए वैवाहिक जीवन की समग्रता से समीक्षा की जानी चाहिए। कुछ वर्षों की अवधि के अलग-थलग उदाहरण क्रूरता की श्रेणी में नहीं आयेगे। ऐसा बुरा आचरण लगातार बना रहना चाहिए। जिसके कारण संबंध काफी हद तक बिगड़ गये हो तथा वह पक्षकारा जिसके साथ गलत व्यवहार किया गया है दूसरे पक्षकार के साथ रहना अत्यधिक कठिन समझने लगे तो इसे मानसिक क्रूरता माना जा सकता है।

(xi) xxx xxx XXX

(xii) xxx xxx XXX

(xiii) xxx xxx XXX

(xiv) जहां निरंतर एक लंबी अवधि अलगाव रहा हो वहां उचित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैवाहिक बंधन मरम्मत से परे है। ऐसी स्थिति में शादी एक कल्पना बनकर रह जाती है यद्यपि ऐसा बंधन कानूनी द्वारा समर्थित है। ऐसे मामलों में कानून उसे अलग करने से इंकार करके बंधन की पवित्रता की रक्षा नहीं करता है। इसके विपरीत, यह पक्षकारों के भावनाओ तथा एहसासों के प्रति अल्प सम्मान दर्शाता है। ऐसी स्थिति में, इससे मानसिक क्रूरता हो सकती है।" गौरतलब है कि इस मामले में पति-पत्नी साढ़े सोलह साल से अधिक समय से अलग अलग रह रहे है। इस तथ्य को अन्य तथ्यों के साथ ध्यान में रखा गया जिससे यह निष्कर्ष निकला कि वैवाहिक बंधन पत्नी द्वारा मानसिक क्रूरता कारित करने के कारण मरम्मत किये जाने योग्य नहीं है। **नवीन कोहली**. में भी ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाया गया।

12. **वी. भगत बनाम डी. भगत** [7] में पति द्वारा तलाक की याचिका में दायर की गई जिसमें पत्नी द्वारा लिखित कथन में यह कहा गया कि उसका पति मानसिक मतिभ्रम से पीड़ित जिसके रुग्ण दिमाग की मनोरोग विशेषज्ञ से उपचार की आवश्यकता है और वह 'पैरानॉयड डिसऑर्डर' से पीड़ित है। प्रति परीक्षा में पत्नी के अधिवक्ता ने पति से यह सुझाव देते हुए कई सवाल पूछे कि उनके परिवार के कई सदस्य जिनमें उसके दादा भी शामिल हैं, पागल थे। इस न्यायालय ने माना कि ऐसी प्रकृति के कथनों से यह नहीं माना जा सकता कि इनसे मानसिक क्रूरता का गठन नहीं होता

हो। इसके बाद पति को पत्नी के साथ रहने के लिए नहीं कहा जा सकता। ऐसी दलीलों और सवाल से पति को अत्यधिक मानसिक कष्ट एवं पीड़ा हुई है। **विजयकुमार भाटे** में पत्नी पर पडौसी के साथ अपवित्रता संबंधों के घिनौना आरोप लिखित कथन में लगाये गये। इस न्यायालय ने माना कि आरोपों की गुणवता और परिमाण ऐसे हैं जिनके परिणाम स्वरूप मानसिक कष्ट, छोभ तथा पीड़ा होती है। क्रूरता की पुनर्निर्मित अवधारणा में पत्नी को गहरा आघात पहुंचाना तथा उसके मन में यह भावना गहरे रूप से पैदा हो जाना कि पति के साथ उसका रहना खतरनाक होगा। क्रूरता माना गया है नवीन कोहली में प्रत्यर्थी-पत्नी ने एक राष्ट्रीय अखबार में विज्ञापन जारी किया गया जिसमें कि उनके पति उसका कर्मचारी होना बताया गया। उसने एक समाचार जारी करवाया जिसमें अपने व्यापारिक सहयोगियों को उसके साथ व्यापार करने से बचने के लिए सावधान किया गया। इसे पति के प्रति मानसिक क्रूरता का कारण माना गया।

13. **नवीन कोहली** में पत्नी ने पति के खिलाफ कई शिकायतें तथा प्रकरण पेश किये। इस न्यायालय ने उसके आचरण को मानसिक क्रूरता पैदा करने वाले आचरण के रूप में देखा तथा उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि उक्त कार्यवाही विवाह विच्छेद का आधार नहीं हो सकती, वह पूर्णतया अस्वीकार्य है।

14. इस प्रकार, **समर घोष** में मानसिक क्रूरता के जो उदाहरण दिये गये उनमें हम और जोड़ सकते हैं। पति -पत्नी द्वारा अपने जीवनसाथी एवं

रिश्तेदारों के विरुद्ध अभिवचनों में निराधार तथा अशोभनीय मानहानिकारक आरोप लगाया जाना शिकायते करना, नोटिस दिया जाना या समाचार में ऐसी सामग्री प्रकाशित कराया जाना जिससे पति पत्नी का व्यापार प्रतिकूल रूप से प्रभाव तथा बार बार झुठी शिकायते करना और ऐसे मामले जिनमें न्यायालय प्रकरण के तथ्यों के आधार पर दूसरे जीवनसाथी के साथ मानसिक क्रूरता होना माने।

15. हम उपरोक्त सिद्धांतों को वर्तमान प्रकरण में लागू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले पक्षकारों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ की गई कार्यवाहियों को देखना होगा। रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों से पता चलता है कि शादी के बाद, कुछ कारणों से बड़ों के बीच उपजे विवाद के कारण दोनों पक्षों में गाली-गलौज हो गई और वस्तुतः एक दूसरे पर आक्रमण किया। प्रत्यर्थी-पत्नी को उसके माता-पिता अपने घर ले गए। प्रत्यर्थी-पत्नी के अनुसार उसके माता पिता ने दोनों पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता कराने का प्रयास किया किन्तु दूसरे पक्षकार ने कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी इसलिए उसने दिनांक , 4/10/1999 को पुलिस अधीक्षक, महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ के यहां अपीलार्थी पति तथा उसके परिवारजनों के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराई । हमारी राय में यह शिकायत काफी हद तक पक्षकारों के बीच दरार उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। इस शिकायत में आरोप है कि दुर्व्यवहार और दहेज के लिए प्रताड़ित किये जाने के बाद अपीलकर्ता की माता के द्वारा प्रत्यर्थी पत्नी को उसके ससुर के साथ हमबिस्तर होने के

लिए कहे जाने बाबत आरोप लगाये गये है। पारिवारिक न्यायालय में दाम्पत्य अधिकारों की पूर्नस्थापना की याचिका की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी-पत्नी ने यह स्वीकार किया है कि उसने शिकायत दर्ज करवाई थी । पीडब्लू-2 उसकी माँ ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा कि उन्होंने उससे शिकाय दर्ज करने से इंकार किया थ किन्तु इसके बावजूद भी उसने शिकायत दर्ज करा दी। उसने उन्हें बताया कि उसने शिकायत इसलिए दर्ज कराई है क्योंकि अपीलकर्ता-पति उसकी बात नहीं सुन रहा था। इस प्रकार, यह प्रतीत होता है यह शिकायत हताशा और क्रोध के कारण दर्ज की गई थी जो कि अपीलकर्ता-पति द्वारा उसके साथ रहने से इंकार करने की प्रतिक्रिया स्वरूप थी। उसने शायद यह महसूस किया कि शिकायत की दबाव की वजह से अपीलकर्ता-पति उसे वापस अपने साथ अपने घर ले जायेगा।उक्त शिकायत से प्रत्यर्थी-पत्नी को सहायता मिलने के बजाय अपूरणीय क्षति होना प्रतीत होता है। जिसने पक्षकारों के बीच कड़वाहट बढ़ा दी। शायद, प्रत्यर्थी-पत्नी किसी के द्वारा गुमराह किया गया हो लेकिन, ऐसी कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं हैं। इस न्यायालय में यह शिकायत समझौता करने में बड़ी बाधा लगती है। उक्त शिकायत पर अपराध क्रमांक 8/2000 सी.आई.डी. द्वारा महानगर मजिस्ट्रेट (महिला न्यायालय) हैदराबाद में प्रत्यर्थी पति एवं उसके परिवार के विरूद्ध धारा 498-ए भारतीय दंड संहिता में दर्ज किया गया। प्रत्यर्थी-पत्नी का मामला है अपीलकर्ता-पति ने पुलिस के समक्ष यह आश्वासन दिया कि वह उसे परेशान नहीं करेगा। इसलिए,

उसने शिकायत वापस ले ली। इसके बाद पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। प्रत्यर्थी-पत्नी के अनुसार , अपीलकर्ता-पति ने अपने वादे का पालन नहीं किया इसलिए उसने विरोध याचिका पेश की। जिस पर मजिस्ट्रेट कोर्ट, हैदराबाद ने प्रसंज्ञान लेकर मामले को पुनः सी.सी.नं.62/2002 पर क्रमांकित किया।

16. इस बीच, प्रत्यर्थी-पत्नी ने पारिवारिक न्यायालय सिकंदराबाद में दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना के लिए ओ.पी. नंबर.88/2001 दायर कर दिया। जिस पर अपीलकर्ता-पति ने दिनांक 27/12/2002 को विवाह विच्छेद के लिए प्रतिदावा पेश कर दिया। पारिवारिक न्यायालय ने दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना की याचिका खारिज कर दी तथा पति के विवाह विच्छेद के प्रति दावे को स्वीकार कर लिया। प्रत्यर्थी पत्नी ने पारिवारिक न्यायालय के निर्णय को उच्च न्यायाल में चुनौति दी। उच्च न्यायालय निर्णय दिनांक 08-12-2006 से पारिवारिक न्यायालय के निर्णय को उलटते हुए, दाम्पत्य पुनर्स्थापन की याचिका को स्वीकार कर लिया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी पति ने यह अपील पेश की है।

17. प्रत्यर्थी पत्नी के अनुसार दिनांक 17/9/2007 को जब वह अपनी माँ के साथ एक मामले में सुनवाई के बाद अदालत से बाहर आ रही थी तो अपीलकर्ता-पति ने पत्नी की मां तथा पत्नी के साथ मारपीट की और उसके पेट पर लात मारी । दोनों को चोटें आईं। इसलिए, प्रत्यर्थी पत्नी ने अपीलार्थी-पति के विरूद्ध धारा 324 भारतीय दंड संहिता के अपराध में

{सी.सी.नं. 79/2009) में शिकायत दर्ज करवाई। यह कहना उचित होगा कि दिनांक 19/10/2009 को अपीलकर्ता-पति को इस मामले में बरी कर दिया गया।

18. दिनांक 24/6/2008 को अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, हैदराबाद ने सी.सी.नं. 62/2002 में निर्णय सुना तथा अपीलकर्ता पति को धारा 498 ए भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्ध करके छह माह के साधारण कारावास दे दंडित किया। उसे तथा उनके माता-पिता को दहेज निषेध अधिनियम के अपराध दोषमुक्त कर दिया। उनके माता-पिता को धारा 498-ए भारतीय दंड संहिता के अपराध से दोषमुक्त कर दिया। उक्त निर्णय के पश्चात प्रत्यर्थी-पत्नी तथा उसके माता-पिता ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय में शिकायत की ,कि अपीलकर्ता- पति को दोषसिद्ध ठहराया गया है इसलिए उसे सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसा ही पत्र प्रत्यर्थी के मामा द्वारा भी उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया ।

19. दिनांक 14/7/2008 को अपीलकर्ता-पति ने उसे धारा 498 ए भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्धि किये जाने के निर्णय को चुनौती देते हुए, महानगर सत्र न्यायाधीश के समक्ष आपराधिक अपील संख्या 186/2008 पेश की। यहां यह ध्यान रखना उचित है कि प्रत्यर्थी-पत्नी ने अपीलार्थी पति तथा उसके माता पिता को दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा उसके माता पिता को धारा498 ए भारतीय दंड संहिता के अपराध में दोषमुक्त करने के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील संख्या 1219/2008

पेश की। यह अपील उच्च न्यायालय में लंबित है। इससे संतुष्ट नहीं होते हुए, प्रत्यर्थी-पत्नी ने अपीलकर्ता पति को धारा 498 ए भारतीय दंड संहिता के अपराधा में दी गई सजा में वृद्धि करने के संबंध में आपराधिक रिवीजन नंबर 1560/2008 पेश की।

20. अपीलार्थी-पति के अनुसार दिनांक 6/12/2009 को प्रत्यर्थी-पत्नी का भाई उनके घर आया और उसने उसकी मां पर हमला किया। उसकी मां ने धारा 354 भारतीय दंड संहित के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

21. दिनांक 29/6/2010 को अपीलार्थी-पति के द्वारा उसे धारा 498 ए भारतीय दंड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध करने के निर्णय को चुनौति देने वाली आपराधिक अपील संख्या 186/2010 को महानगर सत्र न्यायाधीश ने स्वीकार करते हुए उसे दोषमुक्त कर दिया। प्रत्यर्थी पत्नी ने दोषमुक्ति के उक्त निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में आपराधिक पेश की जो अभी लंबित है।

22. अब हमें उपरोक्त घटनाओं का प्रभाव देखना होगा। हमारी राय में मानसिक क्रूरता का पहला उदाहरण प्रत्यर्थी-पत्नी द्वारा दिनांक 04-10-1999 को पुलिस अधीक्षक, महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ के समक्ष पेश किये गये परिवाद देखने को मिलता है उसमें अपमानजनक, अभद्र कथन किये है। उसका यह कथन कि अपीलकर्ता-पति की माँ ने उसे अपने ससुर के साथ सोने के लिए कहा से अपीलार्थी पति को गुस्सा आना स्वाभाविक है। उसका यह

मामला है कि उसके अपने माता-पिता के इस अपमान से बहुत कष्ट हुआ। शिकायत में कहे गये झूठे और अभद्र व्यवहार से उसे और उसके परिवार को आघात पहुंचा। उसकी शिकायत उचित मालूम होती है यह शिकायत रिकार्ड का हिस्सा है। यह अभिवचनों का ही एक हिस्सा है। यह स्पष्ट है कि उक्त कथन मिथ्या होना प्रत्यर्थी-पत्नी की माँ के साक्ष्य से साबित है, जिसे हम पहले ही उद्धृत कर चुके हैं। इस कथन को यह कह कर उचित नहीं ठहराया जा सकता कि प्रत्यर्थी-पत्नी ने यह कथन इसलिए दिया क्योंकि वह अपीलकर्ता पति के पास वापस जाने के लिए उत्सुक थी। यह पति के पास वापस जाने का उचित तरिका नहीं हो सकता। यह अच्छी तरह तय हो चुका है कि ऐसा बयान मानसिक क्रूरता का कारण बनते हैं। यह शिकायत भेजकर प्रत्यर्थी-पत्नी ने अपीलार्थी के प्रति मानसिक क्रूरता कारित की है।

23. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 498-ए भारतीय दंड संहिता में मुकदमा दर्ज कर लिया। अपीलकर्ता-पति और ·'उसके माता-पिता को अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना पड़ा, जो मंजूर कर लिया गया। बाद में, प्रत्यर्थी-पत्नी ने शिकायत वापस ले ली। जिसके अनुसरण में, पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की। इसके बाद, प्रत्यर्थी-पत्नी ने एक विरोधी याचिका दायर की। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता तथा उसके माता पिता के खिलाफ मामले का संज्ञान लिया तथा प्रकरण (सीसी नंबर 62/2002) पर दर्ज किया। क्या प्रासंगिक है यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्यर्थी-पत्नी ने अपीलार्थी पति तथा उसके माता पिता को दहेज

प्रतिषेध अधिनियम तथा माता पिता को धारा 498 ए भारतीय दंड संहिता के अपराध में दोषमुक्त करने के निर्णय को चुनौति देते हुए उच्च न्यायालय में अपील की । साथ ही अपीलार्थी-पति को धारा 498 ए भारतीय दंड संहित में दी गई सजा में वृद्धि करने के लिए अापराधिक पुनरीक्षण याचिका भी उच्च न्यायालय में पेश की जो कि अभी लंबित है। जब अपीलार्थी पति द्वारा उसे धारा 498 ए भारतीय दंड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध करने के विरूद्ध पेश की गई अपील को स्वीकार किया जाकर उसे दोषमुक्त कर दिया गया तो प्रत्यर्थी पत्नी ने दोषमुक्ति के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील की। इस अवधि के दौरान प्रत्यर्थी-पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों ने उच्च न्यायालय में शिकायत की ताकि उसे नौकरी से निष्कासित कर दिया जाए। पत्नी द्वारा पति के विरूद्ध शिकायत करने के संबंध में पत्नी का जो आचरण उनके खिलाफ निराधार, अशोभनीय और मानहानिकारक आरोप अपनी सास के विरूद्ध लगाने तथा पति को दी गई सजा वृद्धि करने के संबंध में पुनरीक्षण याचिका पेश करने तथा पति तथा उसके माता पिता की दोषमुक्ति पर पश्न चिह्न लगाते हुए अपील करने से यह इंगित होता है कि उसने अपने पति तथा उसके माता पिता को जेल में रखने का तथा उसके पति का नैकरी से निष्कासित किये जाने के संबंध में हर संभव प्रयास किया है। हमें इस बात पर कोई संदेह नही है कि उक्त आचरण से अपीलार्थी-पति के प्रति मानसिक क्रूरता कारित हुई है।

24. हमारी राय में, उच्च न्यायालय में यह गलत रूप से निर्धारित किया है कि अपीलार्थी-पति और प्रत्यर्थी-पत्नी एक साथ नही रहे इसलिए पक्षकारों द्वारा एक दूसरे के साथ क्रूरता करने का कोई सवाल ही नहीं है। मानसिक क्रूरता के लिए एक छत के नीचे एक साथ रहना कोई पूर्ववर्ति शर्त नहीं है। किसी दिए गए मामले में, दूर रहते हुए, एक जीवनसाथी दूसरे जीवनसाथी को अशिष्ट तथा मानहानिकारक पत्र या नोटिस भेजकर एवं अपमानजनक आरोपों लगाते हुए शिकायत करके तथा बार-बार न्यायिक कार्यवाही संष्ठित करके दूसरे पति या पत्नी का जीवन दयनीय बना सकता है। इस मामले में यही हुआ है।

25. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता-पति और प्रत्यर्थी-पत्नी दिनांक 27/4/1999 से अलग रह रहे हैं। इस प्रकार, वे दस साल से अधिक समय से अलग रह रहे हैं। इस अलगाव ने उनके बीच में एक न पाटने योग्य दूरी पैदा कर दी है। जैसा कि समर घोष के निर्णित किया गया है , यदि हम यह बंधन तोड़ने से इनकार करते है तो इससे मानसिक क्रूरता हो सकती है।

26. हम इस बात से भी से संतुष्टि है कि यह विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया। विवाह का अपरिवर्तनीय रूप से विघटन हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विवाह विच्छेद का आधार नहीं है। लेकिन, जहां पति -पत्नी या दोनों के कृत्यों से उत्पन्न कड़वाहट के कारण वैवाहिक संबंधों को सुधारा नहीं जा सकता वहां न्यायालयों ने इसे विवाह के

अपरिवर्तनीय रूप से विघटन के रूप में लिया है। एक ऐसी विवाह जो सभी उददेश्यों के लिए मर चुका है, उसे पक्षकारों की इच्छा के विरूद्ध न्यायालय द्वारा अपने निर्णय से पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विवाह में मानव भावनाएं तथा भाव शामिल होता है और यदि वे भावनाएं मर जाएँ तो न्यायालय के द्वारा कृत्रिम तरिके से उन्हें एक साथ करने के संबंध में पारित की गई डिक्री से पूर्नजीवित किया जा सके।

27. **वी. भगत के मामले में** इस न्यायालय ने नोट किया कि तलाक की याचिका आठ साल से लंबित है और दोनों के जीवन का एक बड़ा हिस्सा मुकदमेबाजी खर्च हो चुका है तथा अभी भी अंत दिखाई नहीं दे रहा है। तथ्य ऐसे थे कि कोई सवाल ही नहीं था तथा विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया। जबकि मानसिक क्रूरता के आधार पर विवाह विघटित करने के संबंध में इस न्यायालय का यह मत रहा है कि विवाह का अपरिवर्तनीय रूप से टूटना विवाह विच्छेद का अपने आप में काई कारण नहीं है। लेकिन, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की जांच करते समय यह निर्धारित करने के लिए कि क्या जो कथित आधार बनाए गए हैं उनके आधार पर उक्त परिस्थितियों में चाहा गया अनुतोष प्रदान करते समय उक्त तथ्य को अवश्य ही ध्यान में रखा जा सकता है। **नवीन कोहली** ने जहां पति-पत्नी 10 से अधिक समय से अलग रह रहे थे और पत्नी के द्वारा पति के विरूद्ध बड़ी संख्या में आपराधिक कार्यवाहीयां संष्टित की गई थी। वहां इस न्यायालय ने यह देखा कि यह विवाह आशा से परे टूट गया था, बचाव

और जनहित तथा सभी संबंधित पक्षों का हित इसमें निहित है कि जो विवाह पहले से निष्क्रिय है उसे कानूनी रूप निष्क्रिय घोषित करने से लोकहित तथा सभी हितधारियों के हितों की पूर्ति होगी। इसमें यह ध्यान रखना जरूरी है इस मामले में इस न्यायालय ने भारत संघ को एक सिफारिश की कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में संशोधन किया जाकर अपरिवर्तनीय विवाह विच्छेद को विवाह विच्छेद के आधार के रूप शामिल किया जावे।

28. अंतिम विश्लेषण में, हम मानते हैं कि प्रत्यर्थी-पत्नी ने अपने आचरण से अपीलार्थी के प्रति मानसिक क्रूरता कारित की है और विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है। विवाह विच्छेद से दोनों पक्षों को वेदना व पीड़ा से राहत मिलेगी। इस न्यायालय में प्रत्यर्थी-पत्नी ने यह कहा है कि वह अपीलकर्ता-पति के पास वापस जाना चाहती है, लेकिन अब यह संभव है क्योंकि अपीलकर्ता-पति उसे वापस ले जाने के लिए तैयार नहीं है । भले ही हम अपीलकर्ता को तलाक की डिक्री देने से इनकार कर दें, किन्तु इससे शायद ही प्रत्यर्थी-पत्नी के द्वारा अपीलार्थी पति के साथ खुशहाल जीवन जीने संभावना उत्पन्न होती हो। क्योंकि प्रत्यर्थी पत्नी के आचरण से बहुत अधिक कटुता उत्पन्न् हो गई है।

29. विजय कुमार में यह कहा गया कि यदि विवाह विच्छेद की डिक्री को अपास्त कर दिया जाता है तो इससे पक्षकारों के मध्यम समझाैते के संबंध में नए रास्ते तथा नई संभावनाए उत्पन्न हो सकती

है। इस न्यायालय ने इस पर विचार किया तथा सभी आसपास की परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में निर्णय लिया कि यह तर्क बहुत ही नीरस प्रतीत होता है, यह केवल निराशा से उत्पन्न हुआ है किसी वास्तविक, ठोस या वास्तविक उद्देश्य पर आधारित नहीं है। इस मामले के तथ्यों में भी हमें ऐसा ही लगता है।

30. जबकि हमारी राय है कि तलाक की डिक्री अवश्य होनी चाहिए, हम यह मानते है प्रत्यर्थी-पत्नी की दुर्दशा के लिए जीवित हैं। अपीलकर्ता-पति आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में सहायक रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत हैं उसे अच्छा वेतन मिल रहा है। प्रत्यर्थी-पत्नी ने 10 साल से अधिक समय तक मुकदमा लड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि वह पूरी तरह से अपने माता-पिता और भाई पर निर्भर है इसलिए, उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपीलकर्ता-पति उसे स्थायी गुजारा भत्ता देने के संबंध में निर्देश दिये जाने चाहिए। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर हमारा मानना है कि अपीलकर्ता-पतिप्रत्यर्थी पत्नी को 15,00,000/- (पंद्रह लाख रुपये मात्र) रूपये स्थाई निर्वाह के रूप में भत्ता भुगतान करे। परिणाम स्वरूप, आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता-पति के. श्रीनिवास राव और प्रत्यर्थी-पत्नी - डी.ए.दीपा के विवाह को विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा भंग किया जाता है। अपीलकर्ता-पति प्रत्यर्थी पत्नी को स्थाई निर्वाह भत्ता के रूप में 15,00,000/- रूपये तीन किश्तों में भुगतान करे । 5,00,000/- (पांच रुपये) (केवल लाख) की पहली किस्त दिनांक

15/03/2013 को किया जाना चाहिए तथा शेष राशि रु. 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) पांच पांच लाख रूपये की दो किश्तों में दो माह के अंतराल से दिनांक के बाद 15/05/2013 तथा 15/07/2013 को भुगतान करे। 5,00,000/- रूपये की प्रत्येक किश्त की राशि का भुगतान प्रत्यर्थी पत्नी डी. ए. दीपा के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट तैयार करके किया जावेगा।

31. अलग होने से पहले हम एक मुद्दे पर बात करना चाहते हैं जिस पर वैवाहिक पीड़ितों के हित में चर्चा की जरूरत है, हालाँकि इस मामले में, हमने एक निष्कर्ष दर्ज किया है प्रत्यर्थी-पत्नी ने अपने आचरण अपीलार्थी पति के साथ मानसिक क्रूरता कारित की है हालाँकि, अपीलकर्ता-पति हमें यह नहीं समझा पाया है कि यह केवल प्रत्यर्थी-पत्नी का दोष है। वैवाहिक विवादों में शायद ही कोई ऐसा मामला हो जहां केवल एक पक्षकार ही पूर्णरूप से गलती पर हो। फिर, कोई विवाद चिंताजनक रूप धारण करे उससे पहले ही किसी को प्रयास करा चाहिए। जो पक्षकारों के विवाद का कारण देखें। इस मामले में, यदि प्रारंभिक चरण में, इससे पहले कि प्रत्यर्थी-पत्नी ने अभद्रता करते हुए अपनी सास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई किसी स्वतंत्र तथा संवेदनशील सलाहकार के द्वारा समझाईश करवाई जाती या पक्षकारों को मध्यस्था केंन्द्र भेजा जाता और पक्षकारों की मुकदमेबाजी पूर्व-क्लिनिक तक पहुंच होती तो शायद कड़वाहट से बचा जा सकता था। यदि प्रारांभिक स्थिति में किसी के द्वारा मध्यस्थता की जाती तो ऐसी नौबत नहीं आती। यह संभव है कि प्रत्यर्थी-पत्नी विवाह को बचाने के

लिए बेताब थी। शायद, हताशा में, उसने संतुलन खो दिया और शिकायते दर्ज करवाती चली गई। यह भी संभव है कि उसे गुमराह किया गया हो। शायद, अपीलकर्ता-पति वैवाहिक जीवन के हित को देखते हुए उसके द्वारा की गई अविवेक पूर्ण शिकायतों को माफ कर देता । लेकिन प्रत्यर्थी-पत्नी का समस्या से निपटने का तरीका गलत था। यह एक प्रतिशोधी मन को चित्रित करता है। उसने अपीलकर्ता-पति को अत्यधिक मानसिक आघात पहुँचाया है। अब विवाह का उपचार संभव नहीं है।

32. अक्सर ग़लतफ़हमी के कारण वैवाहिक विवाद उत्पन्न होना मामूली बात है जिससे की सुलझाया जा सकता है। मध्यस्थता ने वैकल्पिक विवाद निस्ताण प्रक्रिया रूप में विधि मान्यता प्राप्त कर ली है। हमने कई वैवाहिक विवादों को मध्यस्थता केंद्रों पर रैफर किया है, हमारा अनुभव यही बताता है लगभग 10 से 15% वैवाहिक विवादों का निपटारा इस न्यायालय में मध्यस्था केन्द्रों के माध्यम से होता है। इसलिए, हम ऐसा महसूस करते हैं प्रारंभिक चरण यानी जब विवाद पारिवारिक न्यायालय या प्रथम चरण न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु लिया जाता है तो उसे मध्यस्थता केंद्रों को रैफर करना चाहिए। विशेषकर ऐसे वैवाहिक विवाद जो बच्चे की अभिरक्षा, भरण-पोषण आदि से संबंधित हैं मध्यस्थता के लिए सर्वथा उपयुक्त। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 9 सभी पारिवारिक न्यायालयों पर सभी वैवाहिक विवादों को समझौते के द्वारा निपटारे का प्रयास करने के संबंध में दायित्व अधिरोपित करती है। इसके लिए

पारिवारिक न्यायालयों को परामर्शदाताओं की सहायता प्रदान की गई है। भले ही परामर्शदाता अपने कार्य में असफल हों तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक न्यायालयों को पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए निर्देशित करना चाहिए, जहां मध्यस्थता के लिए प्रशिक्षित मध्यस्थों को नियुक्त किया जाता है। मध्यस्थता हेतु प्रशिक्षित मध्यस्थों ने अच्छे परिणाम दिए हैं।

33. मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता का विचार भी जोर पकड़ रहा है। कुछ मध्यस्थता केन्द्रों ने व्यापक प्रचार-प्रसार कर तैयारी के साथ सुविधा सहित प्रमुख स्थानों जिनमें न्यायालय परिसर भी शामिल है, में "सहायता डेस्क" स्थापित कर मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता का कार्य शुरू कर दिया है। हमें बताया गया है कि दिल्ली सरकार तथा दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थापति मध्यस्थता और सुल्ह केंद्रों द्वारा अनेक वैवाहिक विवादों का निपटारा किया गया। इन केंद्रों में मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता में सफलता की अच्छी दर रही है। यदि सभी मध्यस्थता केंद्र पर्याप्त ध्यान देकर और प्रचार प्रसार करके प्री-लिटिगेशन डेस्क/क्लिनिक स्थापित करते हुए वैवाहिक विवादों को प्री-लिटिगेशन माध्यम से सुलझाने का प्रयास करेंगे तो कई परिवार कठिनाई से बच जायेंगे, जिनमें से कुछ का निपटारा हो चुका है।

34. जबकि विशुद्ध रूप से एक सिविल वैवाहिक विवाद को पारिवारिक न्यायालय द्वारा या स्वयं या पक्षकारों को माध्यस्थन के सुलह समझोता की संभावना तलाशने के संबंध में निर्देश देकर सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जा सकता जाता है । धारा 498-ए भारतीय दंड संहिता के संबंध

में कठिनाई प्रस्तुत करती है क्योंकि आंध्र प्रदेश राज्य को छोड़कर जहां इसे राज्य स्तरिय संशोधन के द्वारा राजीनामा योग्य बनाया गया है, अन्य राज्यों में यह राजीनामा योग्य नहीं है। हालाँकि रा**मगोपाल और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य** [8] में इस न्यायालय द्वारा विधि आयोग को और भारत सरकार से इस बात की जांच करने का अनुरोध किया गया है कि धारा 498-ए भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध को समझौता योग्य बनाया जा सकता है, किन्तु इसे अभी तक समझौता योग्य नहीं बनाया गया है। समझौता योग्य अपराधों में न्यायालय पक्षकारों को मध्यस्थता केंद्रों से संपर्क करने के निर्देश देते हैं , धारा 498-ए के तहत दंडनीय अपराध है एक गैर-शमनयोग्य अपराध, है जिससे ऐसे प्रकरण में इस प्रक्रिया का का पालन नहीं किया जाता है। इस न्यायालय ने सदैव सकारात्मक रुख अपनाया है तथा वैवाहिक विवादों का निपटारा समझौते के माध्यम से करने को प्रोत्साहित किया है तथा उनकी वृद्धि को हतोत्साहित किया। इस संबंध में, जी. वी. राव बनाम एल.एच. वी. प्रसाद [9] के संबंधित पैराग्राफ को संदर्भित कर रहे है, जहां शिकायत वैवाहिक विवाद का परिणाम हो तथा इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा शिकायत को निरस्त करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।न्यायालय के द्वारा दिया गया निष्कर्ष निम्न प्रकार से हैः

> "12. हाल ही के दिनों में वैवाहिक विवादों में बाढ़ आ गई है। विवाह एक पवित्र संस्कार है, जिसका प्रमुख उद्देश्य युवा

जोड़े के जीवन में शांति तथा स्थिरता लाना है। लेकिन कुछ वैवाहिक विवाद अचानक शुरू हो जाती हैं जो अक्सर गंभीर रूप धारण कर लेते है। जिनके परिणामस्वरूप जघन्य अपराध घटित होते है तथा जिनके नतीजों से परिवार के बड़े-बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं जो कि ऐसी स्थिति में परामर्श दे सकते थे किन्तु उन्हें आपराधिक मामलों में आरोपी बनाये जाने के कारण वे असहाय हो जाते है। यहां कई और भी अन्य कारण जिनका वैवाहिक विवादों को बढ़ावा देने के कारण उल्लेख करना आवश्यक नहीं है ताकि पक्षकार अपनी गलतीयों पर विचार करके अपने विवादों को न्यायालय में लड़ाई झगड़े के बजाय आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण तरिके से हल कर सके। जबिक न्यायालय जहां निष्कर्ष निकालने में सालों-साल लग जाते हैं तथा इस प्रक्रिया में पक्षकार अपने प्रकरणों का पीछा करते हुए अपनी जवानी खो देते है।"

बी.एस. जोशी व अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य [10], के वाद में उपरोक्त टिप्पणियों का हवाला देते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि कहा कि अदालतों द्वारा वैवाहिक विवादों का समाधान करते समय उक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को ऐसी शिकायत

जिनमें धारा 498-ए भारतीय दंड संहिता का अपराध शामिल हो को निरस्त कर देना चाहिए। यदि पक्षकार अपना विवाद सुलझा लेते हैं। यहां तक की ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य व अन्य [(11)] में इस न्यायालय ने यह व्यक्त किया कि कुछ अपराध जो कि मुख्य रूप दीवानी विवाद का स्वरूप लिए होते है जो कि विवाह के कारण उत्पन्न होकर दहेज आदि या पारीवारिक विवाद से संबंधित होते है। जिनमें अपराधी और पीड़ित ने अपना विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया हो इस तथ्य के बावजूद भी उनका विवाद शमनीय नहीं है। यदि उच्च न्यायालय यह समझता है कि ऐसी आपराधिक कार्यवाही को निरस्त नहीं करने से न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा, तो उच्च् न्यायालय ऐसी आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर सकता है।

35. इसलिए, हमें लगता है कि यद्यपि धारा 498-ए भारतीय दंड संहिता का अपराध शमनीय नहीं है किन्तु ऐसे प्रकरणों में जहां पक्षकार राजीनामा के इच्छुक हो तथा न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि प्रकरण में समझौते की संभावना के तत्व विराजमान है तो ऐसे प्रकरणों में पक्षकारों को मध्यस्थता के माध्यम से समझौते की संभावना तलाशने के लिए कहना चाहिए। यह धारा 498-ए भारतीय दंड संहिता कठोरता, प्रभावकारिता को कम करने के लिए नहीं है लेकिन मामलों का पता लगाने के लिए है जिनमें वैवाहिक विवाद को शुरुआत में ही न्यायसंगत ढंग रूप खत्म किया जा सकता है। न्यायाधीशों को अपनी विशेषज्ञता के साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम वह पक्षकार

जो गलती पर हो को कानून की प्रक्रिया से बचने का मौका नहीं मिले। मध्यस्थता के दौरान, पक्षकार अलग होने का निर्णय ले सकते है या पारस्परिक रूप से सहमत होकर साथ रहने का निर्णय ले सकते है। ऐसे किसी भी मामले में समझौता होने के लिए शिकायत रद्द करनी होगी। उस स्थिति में, उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर शिकायत को दर्ज करवा सकते थे। अगर उन्होंने समझौता न करने का निर्णय लिया है, वे शिकायत पर आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रक्रिया में किसी को कोई नुकसान नहीं होता है यदि पक्षकारों में समझौता हो जाता है, तो वे मुकदमों से बचाया जाएगा तथा इससे न्यायालयों का भार कम हो जायेगा जो कि व्यापक जनहित में होगा। जाहिर है, उच्च न्यायालय शिकायत तभी रद्द करेगा, जब सभी परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात उसका यह समाधान हो जाता है कि समाधान न्यायसंगत और सदभावी है। हमारी राय में, यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो वास्तव में अपने वैवाहिक विवादों को हल करना चाहते है। हालाँकि, हम स्पष्ट करना चाहेंगे, इससे अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम होगा यह केवल एक आनुसंगिक लाभ होगा न कि प्रकरणों को मध्यस्थता के लिए भेजने का परिणाम होगा। हम 'मध्यस्थता' को वैवाहिक विवादों को वैकल्पिक विवाद समाधान की प्रक्रिया के माध्यम से हल करने की एक प्रभावी प्रक्रिया के रूप में मान्यता प्रदान करते है। यही कारण है कि हम चाहते हैं कि पक्षकार

मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवादों का समाधान करने की संभावना तलाशे करे।

36. इसलिए, हम निर्देश जारी करते हैं, कि जो अदालत वैवाहिक मामलों की सुनवाई करती है वे निम्न निर्देशानुसार कार्य करे:

(ए) पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 9 के अनुसार पारिवारिक न्यायालय वैवाहिक विवादों का मध्यस्थता के माध्यम से समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करें भले ही परामर्शदाता एक विफलता रिपोर्ट प्रस्तुत करते है। पारीवारिक न्यायालय पक्षकारों की समहति से मध्यस्थता केंद्र को प्रेषित करेंगे ऐसे मामले में, पारिवारिक न्यायालय एक उचित समय सीमा निर्धारित करेंगे जिसके भीतर मध्यस्थता केन्द्रों को मध्यस्थता कार्यवाही को पूर्ण करना होगा। क्योंकि अन्यथा पारिवारिक न्यायालय द्वारा विवादों का समाधान करने में विलंब कारित हो सकता है। किसी दिए गए मामले में, यदि समझौता होने के अच्छे अवसर हो तो पारिवारिक न्यायालय अपने विवेक से हमेशा समय सीमा बढा सकते है।

(बी) धारा 498-ए भारतीय दंड संहिता के अपराधों का विचारण करने वाले न्यायालय किसी भी प्रकरण पर शिकायत की सुनवाई शुरू करने से पूर्व पक्षकारों को मध्यस्थता केंद्र भेजने के संबंध में निर्देश दे सकते है जहां न्यायालय यह महसूस करता है कि प्रकरण में समझौते के तत्व मौजूद है

तथा दोनों पक्षकार समझौते के इच्छुक है। हालाँकि, उन्हें ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रक्रिया में 498-ए भारतीय दंड संहिता की कठोरता एवं प्रभावकारिता कम नहीं हो। कहने की जरूरत नहीं है जमानत देने या नहीं देने के संबंध में न्यायालय की विवेकिय शक्तियां इन निर्देशों में किसी भी रूप में कम नहीं होती है। प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितयों पर विचार करते हुए इस संबंध में तौर-तरीके तैयार करने का काम न्यायालय का होगा।

(सी) सभी मध्यस्थता केंद्र प्री-लिटिगेशन/ डेस्क/क्लिनिक स्थापित करेंगे तथा इनका व्यापक प्रचार-प्रसार करें वैवाहिक विवादों को मुकदमा पूर्व चरण पर ही निपटाने का प्रयास करेंगे।

37. अपील का निस्तारण उपरोक्त निर्देशानुसार किया जाता है।

आर.पी.

अपील निस्तारित।

(1) (2002) 2 एससीसी 296

(2) (2002) 5 एससीसी 706

(3) (2003) 6 एससीसी 334

(4) (2005) 7 एससीसी 353

(5) (2006) 4 एससीसी 558

(6) (2007) 4 एससीसी 511

(7) (1994) 1 एससीसी 337

(8) (2010) 13 एससीसी 540

(9) (2000) 3 एससीसी 693

(10) एआईआर 2003 एससी 1386

(11) (2012) 10 एससीसी 303

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से न्यायिक अधिकारी श्री ब्रजेन्द्र रावत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****